(60)

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक/ 2739 /7788/2003/20 रायपुर दिनांक 21/7/04

प्रति,

संचालक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद छ.ग.

विषय :- संचालनालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छ.ग. को विभागाध्यक्ष का दर्जा दिये जाने बाबत ।

मूल नियम 9 (32) के नीचे एस.आर. (10) के तहत घोषित विभागाध्यक्षों की सूची के अनुक्रमांक 78 में संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शामिल है उक्त नियमों को छ.ग. शासन द्वारा यथा स्वरूप अनुकूलित किया गया है । तदनुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एल.पी. दाण्डे)
अवर सचिव
छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र./ /7788/2003/20 रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:

सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव
छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
क्रमांक 4662
दिनांक 23-7-04
शंकरनगर रायपुर

FAX - 0771-2443536 : Kind attention : Smt. C.N. ALI, ELTI CELL

APPENDIX - 2

Government of Madhya Pradesh

FINANCE DEPARTMENT

//NOTIFICATION//

Bhopal dated 20 September 95

No.C-17/1/95/C/IV In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Government of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Fundamental Rules, Volume-I viz:-

AMENDMENT

The existing list of Heads of Department occurring in the Note below S.R.10 under F.R. 9(32) shall be substituted as under:-

List of Heads of Departments

1 Chief Secretary
2 Chairman, M.P. Public Service Commission.
3 Secretary, Lok Ayukta.
4 Chief Technical Examiner
5 Director General, Academy of Administration.
6 Commissioner, M.P. Bhawan.
7 Chairman, Human Rights Commission, Bhopal.
8 Director General, State Bureau of Investigation of Economic Offenses.
9 Secretary to the Governor.
10 Director General of Police.
11 Regional Inspector General of Police Bilaspur Zone.
12 Regional Inspector General of Police Jabalpur Zone.
13 Regional Inspector General of Police Gwalior Zone.
14 Regional Inspector General of Police Indore Zone.
15 Regional Inspector General of Police Bhopal Zone.
16 Regional Inspector General of Police Bhilai Zone.
17 Commandant, General Home Guards.
18 Director, Medico-Legal Institute.
19 Director of Estates.
20 Director, Sainik Welfare Board.
21 Director, Prosecutions.
22 Head of Department, State Garages.
23 Inspector General of Prisons.
24 Director, Treasuries and Accounts.

25. Director, Small Savings and State Lottery.
26 Director, Local Funds Audit.
27 Director, Life Insurance.
28 Director, Institutional Finance.
29 Director, Pension and Employees Welfare.
30 Commissioner, Sales Tax.
31 Excise Commissioner.
32 Inspector General of Registration.
33 All Commissioners (of Divisions).
34 President, Board of Revenue.
35 Commissioner, Land Records and Settlement.
36 Controller, Stationery and Printing.
37 Relief Commissioner.
38 Transport Commissioner.
39 Director, Sports and Youth Welfare.
40 Director, National Cadet Corps.
41 Principal, Chief Conservator of Forests.
42 Chief Conservator of Forests (Development).
43 Chief Conservator of Forests (Production).
44 Chief Conservator of Forests (Wild Life).
45 Director, Social Forestry.
46 Commissioner, Industries.
47 Registrar of Firms and Societies.
48 Director, Geology and Mining.
49 Chief Engineer (Electrical Safety) and Chief Electrical Inspector.
50 Commissioner, Agricultural Marketing.
51 Director of Agriculture.
52 Director of Horticulture and Farm Forestry.
53 Cane Commissioner.
54 Commandant General, Land Army.
55 Registrar, Co-operative Societies.
56 President, Industrial Court.
57 Labour Commissioner.
58 Director, E.S.I. Schemes.
59 Director of Medical Education.
60 Director of Medical Services.
61 Director of Public Health and Family Welfare.
62 Director Epidemic Control.
63 Director of Indian System of Medicines and Homeopathy.
64 Controller, Food and Drugs Administration.
65 Director, Danida Project.
66 Director, Rajiv Gandhi Mission for Elimination of Iodine Deficiency Disorders.
67 Director, Rajiv Gandhi Mission for Control of Diarrhoea.
68 Commissioner, Urban Administration.
69 Engineer-in-Chief, Public Works Department.

संचालक, SCERT HOD है उसका प्रमाण। कहीं कोई मतभेद हो तो बताएं।

26/3

JD/ Mr. Sahu

26/3

Scanned with CamScanner

FAX 0771- 2443596 ! Kind attention Sri. B.N. ALI, ELTI CELL

70 Chief Engineer (North), Public Works Department.
71 Chief Engineer (West), Public Works Department.
72 Chief Engineer (East), Public Works Department.
73 Chief Engineer (National Highways), Public Works Department.
74 Chief Engineer (Central), Public Works Department.
75 Chief Architect
76 Chief Engineer (Design and Investigations), Public Works Department.
77 Commissioner, Public Instruction.
78 Director, Council of Educational Research & Training.
79 Director, Education.
80 Legal Remembrancer.
81 President, Arbitration Tribunal.
82 Chief Electoral Officer.
83 Development Commissioner.
84 Director, Panchayat and Social Welfare.
85 Director, Institute of Rural Development.
86 Member Secretary, State Planning Board.
87 Director, Economics and Statistics
88 Director, Computer Centre.
89 Director, Public Relations
90 Commissioner, Tribal Development.
91 Director, Scheduled Castes Welfare.
92 Director, Backward Classes Welfare.
93 Additional Commissioner, Tribal Area Development Planning.
94 Director, Tribal and Harijan Research and Development Institute.
95 Governor of M.P. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes Commission.
96 Vice Chairman, Narmada Valley Development Authority.
97 Rehabilitation Commissioner.
98 Director, Food and Civil Supplies.
99 Controller, Weights and Measures.
100 Director, Health Management & Communication Center, Gwalior.
101 Commissioner, Archaeology, Archives and Museums.
102 Director, Languages and Culture.
103 Engineer-in-Chief, Irrigation.
104 Commissioner, Land Acquisition and Rehabilitation, Bansagar.
105 Chief Engineer, Irrigation, Survey and Investigation.
106 Chief Engineer, Ground Water Survey.
107 Chief Engineer, Bureau of Designs for Hydel and Irrigation Projects.
108 Chief Engineer, Canal Maintenance.
109 Chief Engineer, Irrigation, Seoni Zone.
110 Chief Engineer, Chambal-Betwa Basin.
111 Chief Engineer, Narmada-Tapti Basin.
112 Chief Engineer, Mahandi-Godwari Basin.
113 Chief Engineer, Mahanadi, Project.
114 Chief Engineer, Hasdeo-Bango Project.

115 Chief Engineer, Bansagar Project.
116 Chief Engineer, Bargi Dam.
117 Chief Engineer, Bargi Canal.
118 Chief Engineer, Upper Narmada Zone.
119 Chief Engineer, Lower Narmada Zone.
120 Chief Engineer, Narmada Sagar.
121 Chief Engineer, (Electrical/Mechanical), Irrigation.
122 Environment Commissioner.
123 Administrator, Capital Project Administration
124 Director, Town and Country Planning.
125 Commissioner, Tourism.
126 Engineer-in-Chief, Public Health Engineering Department.
127 Chief Engineer (East), Public Health Engineering Department.
128 Chief Engineer (West), Public Health Engineering Department.
129 Chief Engineer (Decade), Public Health Engineering Department.
130 Director, Veterinary Services.
131 Milk Commissioner.
132 Director, Fisheries.
133 Commissioner, Collegiate Education.
134 Director, Employment and Manpower.
135 Director, Technical Education.
136 Additional Commissioner, Employment and Director of Manpower.
137 Director, Aviation.
138 Director, Urban Welfare.
139 Commissioner, Gas Relief and Rehabilitation, Bhopal.
140 Director, Claims for Bhopal Gas Victims.
141 Commissioner, Women and Child Development.
142 Commissioner, Handlooms.
143 Director Sericulture.
144 Director, Small Scale Industries.
145 Commissioner, Wakf.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

Sd/-
(A.N. Ahsan)
Secretary to Govt. of M.P.
Finance Department

Scanned with CamScanner

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-408/डब्ल्यू. पी.

रजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 127 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495] भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 दिसम्बर 1982—पौष 4 शके 1904

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 1982

विषय :—मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का गठन

संकल्प

मध्यप्रदेश शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना करने के संबंध में राज्य शासन ने निम्नलिखित संकल्प किया है.

2. मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस. सी. ई. आर. टी.) केन्द्र में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) के समान राज्य स्तरीय होगी. यदि परिषद् औपचारिक तथा औपचारिकेतर स्कूल शिक्षा के लिये पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकें विकसित करना, शिक्षा को तकनीकी सहयोग देना, उचित मूल्यांकन की तकनीकी और प्रक्रियाएं शिक्षा में लाना, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना, शैक्षणिक शोध तथा शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार आदि कार्य करेगी. परिषद् शैक्षणिक समस्याओं के हल करने में "इन्टर-डिसिप्लिनरी" प्रक्रिया विकसित करेगी तथा स्कूल शिक्षा विभाग के एकेडेमिक अंग के रूप में कार्य करेगी.

3. स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त राज्य स्तर संस्थान अर्थात् राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर, शिक्षा मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन महाविद्यालय जबलपुर, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर का संविलियन परिषद् में होगा. राज्य स्तर संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी परिषद् के अन्तर्गत उसके कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करेंगे.

4. राज्य के समस्त शिक्षा महाविद्यालय तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएं, परिषद् को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे. इन पर प्रशासनिक नियंत्रण संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान, और प्रशिक्षण परिषद् का होगा और वे इन संस्थाओं के लिये विभागाध्यक्ष होंगे. इन संस्थाओं से संबंधित विभागाध्यक्ष का जो कार्य लोक शिक्षण संचालक द्वारा किया जाता था वह अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के संचालक द्वारा किया जाएगा.

5. राज्य स्तर संस्थानों, शिक्षा महाविद्यालयों तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार शासन अथवा लोक शिक्षण संचालक को है, उनका संवर्ग अलग न होकर स्कूल शिक्षा विभाग के सर्वर्ग संवर्ग का ही अंग है। अतः इन संस्थानों का "पर्सोनल मैनेजमेन्ट" अन्य आदेश होने तक संचालक लोक शिक्षण द्वारा ही किया जायेगा. लेकिन इनमें पदस्थ होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कम से कम तीन साल तक इन संस्थाओं से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सहमति के बिना हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जायेगा, जब तक कि पदोन्नति के लिये उनका हटाना आवश्यक न हो.

6. शासन नीति के अनुसार ही जीवाजी वेध शाला, उज्जैन भी परिषद् को हस्तांतरित की जायेगी.

Scanned with CamScanner

7. [illegible] शाला कार्यक्रमों में परिषद् द्वारा शैक्षणिक सुधार संबंधी प्रयास प्रारंभ किये जायेंगे तथा प्रत्येक तीन वर्ष के बाद इन स्कूल कार्यक्रमों को छोड़ कर अन्य स्कूल कार्यक्रमों का चयन किया जायेगा।

8. परिषद् को हस्तांतरित होने वाली शिक्षण संस्थाओं से संबंधित लोक शिक्षण संचालक कार्यालय में होने वाला कार्य परिषद् को हस्तांतरित होगा. लोक शिक्षण संचालनालय से जो शिक्षण संस्थाएं परिषद् को हस्तांतरित होंगी उनके संचालन के लिये आवश्यकता के आधार पर संचालनालय के कितने पद परिषद् के अन्तर्गत हस्तांतरित किये जायेंगे इसका परीक्षण लोक शिक्षण संचालक करेंगे और शासन को प्रतिवेदन देंगे.

9. विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किये जायेंगे कि उनके द्वारा परिषद् के कार्य में पूर्ण सहयोग दिया जाय. संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उन्हें अथवा शिक्षकों को जब भी बैठकों में बुलाया जावे, वे उनमें शामिल होंगे. यदि समय कम हो तो इसके लिये अपने वरिष्ठ अधिकारी का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर सकते हैं.

10. राज्य शासन ने यह भी संकल्प किया कि उपर्युक्त विभिन्न निर्णयों को तत्काल कार्यान्वित किया जाय और यह कि संकल्प में उल्लिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाय.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी कमिश्नरों, सभी कलेक्टरों, विभाग के सभी संभागीय और जिला अधिकारियों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों को भेजी जायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक वाजपेयी, सचिव

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1982